

राजस्थान—सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 140 / 2022

बउनवान
भगवतसिंह पुत्र नारायणसिंह अहीर निवासी हनुवतखेड़ापार तहसील छबड़ा
(अपीलांत)

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबड़ा जिला बारों
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित :- 1- श्री भंवर सिंह जादौन अभिभाषक (अपीलांत)
2- परोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 17.06.2022

अपीलांत ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 1982/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत को वाके ग्राम बोरखेड़ी की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 40/2 की रकबा 01 बीघा भूमि पर फसल गेहूँ एवं सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांत के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांत को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांत को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांत को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि. 01.06.2020 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांत को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल गेहूँ एवं सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांत द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 में भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांत द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांत की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई थी। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 1982/2020 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 01.06.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांत को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांत विवादित आराजी वाके ग्राम बोरखेड़ी खसरा नम्बर 40/2 रकबा 01 बीघा से स्वयं का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छबड़ा के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 1982/2020 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला कलक्टर
बाराँ